

आई/129276/2022

संख्या- 05 /2022/1312/23-10-21-44(सेतु)/2021

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,

लोक निर्माण विभाग,

30प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के 07 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के निम्नांकित पत्रों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें :-

क्रम सं०	पत्र संख्या एवं दिनांक
1-	1309/प्रा0आगणन-एटा(जी0टी0 मार्ग)सेतु-6/21-22 दिनांक 01.12.2021
2-	1307/प्रा0आगणन-एटा(सोरख कुसमरा)सेतु-6/21-22 दिनांक 01.12.2021
3-	1310/प्रा0आगणन-बुलन्दशहर (चिड़ावक)सेतु-6/21-22 दिनांक 01.12.2021
4-	1311/प्रा0आगणन-कासगंज(पाठकपुर धर्मपुर चण्डाँस)सेतु-6/21-22 दिनांक 01.12.2021
5-	1312/प्रा0आगणन-कासगंज(याकूतगंज)सेतु-6/21-22 दिनांक 01.12.2021
6-	1308/प्रा0आगणन-अलीगढ़(मनोहरपुर कायस्थ)सेतु-6/21-22 दिनांक 01.12.2021
7-	1323/प्रा0आगणन-मेरठ(धन्तला तलहेटा)सेतु-6/21-22 दिनांक 02.12.2021

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न जनपदों के 07 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु संलग्न विवरणानुसार कुल लागत 0 770.90 लाख (रूपये सात करोड़ सत्तर लाख नब्बे हजार मात्र) के सापेक्ष अनुदान सं0-57 से 0 66.18 लाख एवं अनुदान सं0-83 से 0 17.82 लाख अर्थात् कुल रू0 84.00 लाख (रूपये चौरासी लाख मात्र) धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में श्री राज्यपाल संलग्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2/2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमश :

- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (6) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/ दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए0-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दि0 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्त लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।
- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (9) मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।
- (10) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्ययोजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2/2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 के प्रस्तर-4 के अनुसार प्रायोजना का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण सक्षम स्तर से करा लिया गया है।
- (14) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।
- (15) भारत सरकार की कोविड-19 हेतु जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/ 2021 दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा । वित्त नियंत्रक द्वारा कार्यदायी संस्था को 02-02 माह की आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिये उन्हें आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

3- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य योजना(सामान्य) के अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-04-सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)-0403-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्यमद एवं अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-20-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य-24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश अनुदान सं0-57 के अंतर्गत वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-8-3515-दस-2021-2022, दिनांक 04 जनवरी, 2022 एवं अनुदान सं0-83 के अंतर्गत वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-8-3516-दस-2021-2022, दिनांक 04 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( राजेश कुमार अग्रवाल )  
संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2022/1312(1)/23-10-21-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी ।
- 3- निजी सचिव, मा0 उप मुख्य मंत्री जी ।
- 4- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
- 7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)@राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- 8- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( राजेश कुमार अग्रवाल )  
संयुक्त सचिव।

(धनराशि लाख रू० में)

क्रम सं	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू० में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनु०-57	अनु०-83	कुल योग ₹9%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एटा	जनपद एटा में जी०टी० मार्ग से भदों मार्ग के किमी०-1 में आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट का नव निर्माण कार्य ।	76.47	9.45	2.55	12.00	लो०नि०वि०
2	एटा	जनपद एटा में सोरख कुसमरा सोरों कादरगंज पटियाली बदायूं मार्ग के किमी०-89.00 में सकरे पुल के स्थान पर नये सेतु के निर्माण कार्य।	128.29	9.45	2.55	12.00	लो०नि०वि०
3	बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में एम०बी० मार्ग से चिडावक सम्पर्क मार्ग के किमी०- 1.00 में आर०सी०सी० बाक्स लघु सेतु का पुनः निर्माण।	46.87	9.45	2.55	12.00	लो०नि०वि०
4	कासगंज	जनपद कासगंज में पाठकपुर धर्मपुर चण्डईस मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी०-17 में बूढीगंगा पर लघु सेतु का निर्माण	87.00	9.45	2.55	12.00	लो०नि०वि०
5	कासगंज	जनपद कासगंज में याकूतगंज से नवाबगंज चौकी होते हुये बडागांव कोटरा नगला खिमाई से प्रतापपुर तक मार्ग पर लघु सेतु का निर्माण	53.10	9.45	2.55	12.00	लो०नि०वि०
6	अलीगढ	जनपद अलीगढ में मनोहरपुर कायस्थ मार्ग पर क्षतिग्रस्त लघु सेतु के पुन निर्माण	152.45	9.45	2.55	12.00	लो०नि०वि०
7	मेरठ	जनपद मेरठ में ग्राम धन्तला से तलहेटा मार्ग पर छोईया नाले के लघु सेतु के पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	226.72	9.48	2.52	12.00	लो०नि०वि०
		योग-	770.90	66.18	17.82	84.00	

अवमुक्त धनराशि कुल रू० 84.00 लाख (रूपये चौरासी लाख मात्र)

आज्ञा से,

( राजेश कुमार अग्रवाल )  
संयुक्त सचिव।